बिल का सारांश

फार्मेसी (संशोधन) बिल, 2023

- फार्मेसी (संशोधन) बिल, 2023 को लोकसभा में 3 अगस्त, 2023 को पेश किया गया। यह फार्मेसी एक्ट, 1948 में संशोधन करता है। एक्ट फार्मेसी की प्रैक्टिस और पेशे को रेगुलेट करता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
- **पंजीकरण**: भारत में फार्मेसी की प्रैक्टिस करने के लिए फार्मेसी एक्ट, 1948 के तहत पंजीकरण अनिवार्य है। बिल निर्दिष्ट करता है कि अगर कोई व्यक्ति जम्मू और कश्मीर फार्मेसी एक्ट, 2011 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत है या 2011 के एक्ट के तहत निर्धारित योग्यता रखता है, उसे फार्मेसी एक्ट, 1948 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत माना जाएगा। इसके लिए किसी व्यक्ति को संशोधन के लागू होने के एक वर्ष के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन और एक निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

ऋत्विक उपाध्याय
rutvik@prsindia.org

4 अगस्त, 2023